भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 841

24, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कटक में पीएमएवाई-यू और पीएम स्वनिधि के अंतर्गत लाभार्थी

841. श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कटक शहर और कटक जिले के अन्य शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त जिले में उक्त योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी निधि का आवंटन और उपयोग किया गया है; और

(ग) क्या सरकार विशेषकर कटक के लिए किसी स्मार्ट सिटी घटक या शहरी परिवहन परियोजना की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) कटक शहर और कटक जिले के अन्य शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या नीचे दी गई है:

पीएमएवाई-यू:

क्रम सं.	विवरण	कटक जिला	कटक शहर
1	स्वीकृत आवास (संख्या)	12,296	7,140

2	निर्माणाधीन आवास (संख्या)	10,722	6,107
3	निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके आवास (संख्या)	9,728	5,579
4	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	188.53	110.24
5	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	142.30	82.32

पीएमस्वनिधि:

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) का नाम	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित कुल ऋण
1	कटक नगर निगम	5,852	10,070
2	अथागढ़ अधिसूचित क्षेत्र परिषद	281	388
3	बांकी अधिसूचित क्षेत्र परिषद	175	289
4	चौद्वार नगरपालिका	159	238

(ख) केंद्र सरकार राज्य योजनाओं को अनुमोदित करती है और राज्यों को केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करती है। परियोजनाओं का चयन, डिज़ाइन, अनुमोदन और क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें शहरों/जिलों को निधियां जारी करती हैं। इसके अलावा, पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण संवितरित किए जाते हैं और राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों/जिलों को कोई निधि जारी नहीं की जाती है।

(ग) स्मार्ट सिटी मिशन 31.03.2025 को समाप्त हो गया है। पीएम-ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत, ओडिशा राज्य के लिए 400 ई-बसों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें कटक के लिए 100 ई-बसें शामिल हैं और संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु ओडिशा को 47.72 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की जा चुकी है, जिसमें कटक के लिए 10.52 करोड़ रुपये शामिल हैं।

*****